क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

मैं, SHIW KUMARI YADAV पत्नी आर्मी नं.- JC386728N सूबेदार कन्हैया लाल यादव निवासिनी-ग्राम-धेराही, पोस्ट-लखनपुर, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिन-221101 पति के आर्मी रिकार्ड में दर्ज गलत नाम SHIW KUMARI YADAV व जन्मतिथि-20.08.1980 के स्थान पर अपना सही नाम SHIVKUMARI YADAV व जन्मतिथि-22.08.1980 मय शपथपत्र दिनांक-25.03.2025 दर्ज करवा रही हूँ।

मैं, मोहन कुमार, निवासी मकान नं. 55, शर्मा सिटी, तकरोही रोड, सेक्टर 11, इंद्रा नगर, लखनऊ ने सभी भविष्य के उद्देश्यों के लिए अपनी नाबालिग बेटी का नाम नव्या ऐलानी से बदलकर दृष्टि ऐलानी (जन्मतिथिः 05.09.2014) कर दिया है।

मैं, मोहन कुमार, निवासी मकान नं. 55, शर्मा सिटी, तकरोही रोड, सेक्टर 11, इंद्रा नगर, लखनऊ ने सभी भविष्य के उद्देश्यों के लिए अपने नाबालिग बेटे का नाम श्रेयांश ऐलानी से बदलकर रोहन ऐलानी (जन्मतिथिः 24.04.2017) कर दिया है।

मैं, KALAWATI DEVI पत्नी बृज किशोर यादव माता आर्मी नं.-15706694A हवलदार मनोज कुमार यादव निवासिनी-ग्राम-श्रीनगर, पोस्ट-श्रीनगर, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, पिन-277209 दिनांक- 26.03.2025 को कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ के समक्ष शपथपत्र देकर भविष्य हेतु अपना नाम KALAWATI DEVI से बदलवाकर KALAVATI DEVI दर्ज करवायी हूँ।

I, Vankala Narayanamma, legally mother of Army No. 16129852P, Rank-SPR, Name-Vankala Kiran, Unit-38 ASSAULT ENGINER REGT, C/o 56-APO presently R/o Vill.-Palthalagam, PO-Borubhadra, Teh.-Santhabommali, P/S-Santhabommali, Distt.-Srikakulam, Andhra Pradesh-532195 have changed my Date of Birth from 01/02/1966 to 01/01/1966 vide affidavit No. IN-UP72415024989991X dated 01-04-2025 0060126056-1

I, Sonam, legally wedded spouse of Army No. JC-357209H, Rank-NB SUB, Name-Harun Ajamuddin Mulani, Unit-114 ARMD ENGR REGT, C/o 56-APO presently R/o Vill.-Jaitapur, PO-Chinchaner V, Teh.-Satara, P/S-Satara, Distt.-Satara, Maharashtra-415001 have changed my name from SONAM to SONAM HARUN MULANI vide affidavit No. IN-UP73939752140802X dated 02-04-2025 0060126056-4

I, Saroj Devi, legally wedded spouse of Army No.-14644316 A, Rank-HAV, Name-Sumer Singh, Unit-128 ARMD WKSP (631EME BN), C/o 56-APO presently R/o Vill.-Raghunathpura, PO-Raghunathpura, Teh.-Gudha Gorji, P/S-Gudha Gorji, Distt.-Jhunjhunu, Rajasthan-333022 have changed my name from SAROJ DEVI to SAROJ KUMARI vide affidavit No. IN-UP74251168074787X dated 02-04-2025 0060126056-3

I, Rajini, legally wedded spouse of Army No.-6499649X, Rank-NK, Name-Madderla Peddi Raju, Unit-HQ 4 SECT RR, C/o 56-APO presently R/o Vill.-Cheemaleti Palli, PO-Ardhaveedu, Teh.-Ardhaveedu, P/S-Ardhaveedu, Distt.-Prakasam, Andhra Pradesh-523335 have changed my name from RAJINI to MADDERLA RAJINI vide affidavit No. IN-UP4249869362137X dated 02-04-2025 0060126056-2

I, Pummy Pandey, legally wedded spouse of Army No. JC780553N, Rank-NB SUB, Name-Sushil Kumar Tiwari, Unit-908 AD REGT (SP) WKSP, C/o 56-APO presently R/o Vill.-Kadhni, PO-Kadhaiya, Teh.-Chatra, P/S-Tandwa, Distt.-Chatra, Jharkhand-825321 have changed my name from PUMMY PANDEY to PUMMY TIWARI vide affidavit No. IN-UP73941602046958X dated 02-04-2025 0060126056-6

I, P NAGAIAH, legally father of Army No. JC-392720X, Rank-NB SUB, Name-Pasupula Subbarayudu, Unit-31 ADSR, C/o 56-APO, presently R/o Vill.-Giddalur, PO-Giddalur, Teh.-Giddalur, P/S-Giddalur, Andra Pradesh-523357 have changed my Father name from P NAGAIAH to PASUPULA NAGAIAH and DOB from 01/07/1957 to 01/01/1960 vide affidavit No. IN-UP72415996190610X dated 01-04-2025 0060126073-1

I, Army No. JC-357209H, Rank-NB SUB, Name-Harun Ajamuddin Mulani, Unit-114 ARMD ENGR REGT, C/o 56-APO presently R/o Vill.-Jaitapur, PO-Chinchaner V, Teh.-Satara, P/S-Satara, Distt.-Satara, Maharashtra-415001 have changed my daughter's name from HUMERA to HUMERA HARUN MULANI vide affidavit No. IN-UP73938010008111X dated 02-04-2025 0060126056-5

I No 15455898X, Rank-Sep, Name-Ananthakumar B, Unit-AMC Records Lucknow. hereby declare that my Son name is JIYANSH.A N wrongly entered in my service record office. correct my son name is JIYANSH A N kindly do the needful. 0040782703-1

बदायूं : झोपड़ी में आग लगने से गैस सिलेंडर फटा, दो बच्चों की मौत

बदायूं, 3 अप्रैल (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में गुरुवार दोपहर एक झोपड़ी में गैस सिलेंडर फटने से दो बच्चों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिनसिनंगला गांव के बाहर स्थित जयपाल सिंह की झोपड़ी में आग लग गई। उनके मुताबिक,जब ग्रामीण आग पर बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी झोपड़ी के अंदर रखा गैस सिलेंडर फट गया, जिससे आसपास का इलाका भी आग की चपेट में आ गया। अधिकारियों ने बताया कि झोपड़ी के बाहर खेल रहे दो बच्चे सुमित (5) और उसका ममेरा भाई दीपक (6) आग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, आग ने एक भैंस के बछड़े की भी जान ले ली। ग्रामीणों की सूचना पर दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकलकर्मियों ने बताया कि घटना के दौरान सुमित के पिता जयपाल खेतों में काम कर रहे थे, जबकि दीपक आठ दिन पहले ही अपने मामा के घर आया था।

घटना के दौरान सुमित के पिता जयपाल खेतों में काम कर रहे थे।

उप जिलाधिकारी (एसडीएम) मोहित सिंह ने हताहतों की पुष्टि करते हुए कहा, 'झोपड़ी में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से दो बच्चों और एक मवेशी की मौत हो गई।' उन्होंने कहा, 'तीन लोग मामूली रूप से झुलस गए और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।'

गंगा व काली नदी 74 करोड़ से होगी प्रदूषण मुक्त

चार वर्ष बाद मिली जल शोधन संयंत्र की अनुमति

हापुड़, 3 अप्रैल (जनसत्ता)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे योजना की सफलता के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी (सीवरेंज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाया जाएगा। जिसकी चार वर्ष बाद अनुमति मिली है।

हापुड़ तहसील क्षेत्र के ततारपुर में काली नदी पर बनने वाले प्लांट को छह महीने बाद टेंडर की तकनीकी रूप से स्वीकृति भी मिल गई है। जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता विनय रावत ने बताया कि काली नदी के माध्यम से गंगा में गिराए जा रहे प्रदूषित पानी को रोकने के लिए पांच हेक्टेयर चिन्हित जगह पर एसटीपी प्लांट लगाया जाएगा। क्योंकि काली नदी का गंदा पानी गिरने से ब्रजघाट में जल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यहां गंगाजल आचमन के लायक भी नहीं है।

फाइल फोटो।

गंगा प्रदूषण करने को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बड़े नदी व नालों पर एसटीपी लगाने के निर्देश दिए हैं। उक्त प्लाट में रोजाना छह लाख लीटर गंदे पानी का ट्रीटमेंट होगा। जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वहीं शहरी अधिशासी अभियंता अमीरुल हसन ने बताया कि कलेक्ट्रेट स्थित आनंद विहार प्रीत विहार के सीवर के दूषित पानी को शोधित करने के लिए 24 करोड़ की लागत से एसटीपी लगेगा। 20 हजार वर्ग मीटर भूमि पर 10 एमएलडी क्षमता का एसटीपी प्राधिकरण क्षेत्र के दूषित पानी को साफ कर नालों में गिरने के बजाय कृषि कार्य में उपयोग होगा। अभी एचपीडीए का गंदा जल नालों व छोइये के माध्यम से काली नदी में जा रहा है जोकि गांव के रास्ते गढ़मुक्तेश्वर में गंगा में समा जाती है। जल निगमानुसार दोनों प्लाटों के चालू होने पर काली नदी सहित गंगा को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी।

क्योंकि काली नदी में सीवर के गंदे पानी के अलावा विभिन्न फैक्ट्री का बगैर ट्रीट किया सीधा गंदा पानी भी गिराया जा रहा है। साथ ही ऐसे उद्योगों पर भी कार्रवाई होगी जोकि बिना शोधन जल नदी नालों के माध्यम से गंगा में पहुंचा रहे हैं।

व्यक्तिगत

डॉ. संजय सिंह पुत्र डॉ. राम कठिन सिंह, मकान नं. ए-25, विकल्प अपार्टेन्ट, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली 110092 ने मेरे नाबालिग बेटे का नाम शुभम सिंह (जन्म तिथिः 10.06.1994) से बदलकर शुभेंदु विक्रम सिंह कर दिया है।

डॉ. संजय सिंह पुत्र डॉ. राम कठिन सिंह, मकान नं. ए-25, विकल्प अपार्टेन्ट, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली 110092 ने सभी प्रयोजनों के लिए मेरी पत्नी का नाम श्रीमती सुचता सिंह से बदलकर श्रीमती सुचेता सिंह कर दिया है।

गन्ने के उबलते रस में गिरने से मजदूर की मौत

मुजफ्फरनगर, 3 अप्रैल (जनसत्ता)।

पुरकाजी में कोल्हू पर उबलते गन्ने के रस के कढ़ाव में गिरकर मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पुरकाजी थाना क्षेत्र के समीपवर्ती गांव हरिनगर जबलपुर स्थित एक कोल्हू पर काम करने वाला करीब 38 वर्षीय युवक शौकेंद्र उर्फ शौकी पुत्र जसवीर कोल्हू पर मजदूरी के दौरान अचानक पैर फिसलने से उक्त युवक गर्म रस के कढ़ाव में गिरकर बुरी तरह झुलस गया। इस हादसे के कोल्हू संचालक ने युवक शौकेंद्र को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चंदौली के रामकिशुन यादव का एशिया कुश्ती में हुआ चयन

चंदौली, 3 अप्रैल (जनसत्ता)।

जनपद के गुरेहूं गांव के निवासी रामकिशुन यादव जो कि भारतीय सेना हवलदार के पद पर कार्यरत हैं। वह एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में चयनित हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार उक्त प्रतियोगिता में 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि वह प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से तथा हाईस्कूल एवं इंटर पास के शहीद गांव से प्राप्त करने के बाद 2013 में कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए अपनी सफलता में अपने पिता परिवार का योगदान मानते हैं।

हाई कोर्ट से सपा नेता आजम खां को राहत, गिरफ्तारी पर रोक लगी

प्रयागराज, 3 अप्रैल (भाषा)।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर जिले के गंज थाना में 2007 में दर्ज एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने इस मामले में आजम खां की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, अफसर खान नाम के एक व्यक्ति ने 2007 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि आजम खान के इशारे पर उसका घर ध्वस्त करा दिया गया था तथा पुलिस ने जांच के बाद 2007 में ही अंतिम रपट दायर कर दी थी जो संबंधित अदालत के समक्ष लंबित है। अफसर खान की 2017 में मृत्यु हो गई और उसके बेटे जुल्फिकार खान ने पुलिस द्वारा दाखिल अंतिम रपट के खिलाफ विरोध याचिका दायर की जिस पर रामपुर के विशेष न्यायाधीश (सांसद/विधायक) ने 21 जनवरी 2025 को इस मामले की आगे और जांच करने का आदेश पारित किया था।

आजम खान के वकील ने दलील दी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से ही क्लोजर रपट दाखिल किए जाने के 18 साल बाद यह विरोध याचिका दाखिल की गई। इस मामले में 10 जुलाई, 2007 को प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस ने जांच के बाद सात दिसंबर 2007 को याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतिम रपट दाखिल की। उन्होंने कहा कि अंतिम रपट के आधार पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किए गए और इसके बाद यह मामला लंबित रहा और अंतिम रपट पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। उनके मुताबिक, शिकायतकर्ता अफसर खान का 18 अक्तूबर 2017 को निधन हो गया जिसकी सूचना अदालत को 16 जनवरी 2023 को दी गई और आपत्ति दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया।

एसडीएम के आवासीय परिसर में मिला होमगार्ड के जवान का शव

अमेठी, 3 अप्रैल (भाषा)।

अमेठी जिले के गौरीगंज क्षेत्र में उप जिलाधिकारी के आवास परिसर में एक कमरे से होमगार्ड के जवान का शव बरामद किया गया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि तहसील कैंपस स्थित उप जिलाधिकारी (न्यायिक) के आवास परिसर में एक कमरे से बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात होमगार्ड जवान राज किशोर (56) का शव बरामद हुआ। उसने बताया कि राज किशोर गौरीगंज थाना क्षेत्र के ही पनियार का रहने वाला था। वह गौरीगंज तहसील परिसर में ही उप जिलाधिकारी (न्यायिक) मोहम्मद असलम के आवास पर ड्यूटी पर तैनात था। ड्यूटी के दौरान ही वह मृत पाया गया। गौरीगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रपट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

पोस्टमार्टम रपट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

राहुल गांधी मानहानि मामले में सुनवाई टली

सुलतानपुर, 3 अप्रैल (भाषा)।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में गुरुवार को वादी की तरफ से गवाह पेश नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 अप्रैल तय की है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से संबंधित मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन वादी की तरफ से गवाह के पेश न होने पर आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 15 अप्रैल नियत की है। पिछली सुनवाई 20 मार्च को थी। शुक्ला ने बताया कि भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के प्रति कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी किये जाने को लेकर मानहानि का वाद दायर कराया था।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती डिम्पल सिंह पत्नी श्री मदन बहादुर सिंह निवासिनी विगल नगर कगता लखनऊ उत्तर प्रदेश की हूँ। एक किता भूखण्ड खसरा संख्या 98 रकबा-1102.50 वर्ग फीट स्थित कगता तहसील व जिला-लखनऊ की एक मात्र मालिक कामिल व काबिज है। उक्त भूखण्ड से सम्बन्धित मूल विक्रय विलेख का दफा साठ (पंजीकरण संख्या) जो खुशाला पत्नी स्व० सन्तू के द्वारा श्रीमती डिम्पल सिंह पत्नी श्री मदन बहादुर सिंह के हक में निष्पादित किया था, जो दिनाँक 13.03.2006 को बही संख्या 1 जिल्द संख्या 5351 पृष्ठ संख्या 361/382 क्रमांक 1490 पर उपनिबंधक-तृतीय, लखनऊ में पंजीकृत है, उपरोक्त मूल विक्रय विलेख उक्त श्रीमती डिम्पल सिंह पत्नी श्री मदन बहादुर सिंह से फोटोकापी कराने जाते समय खो गया है जो काफी खोजने के पश्चात भी प्राप्त नहीं हो सका यह कि उपरोक्त भूखण्ड मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड (एमएवआईएल) में लोन के सापेक्ष बन्धक किया जा रहा है, उपरोक्त मूल विक्रय विलेख का दफा साठ (पंजीकरण संख्या) का किसी अन्य के द्वारा उपयोग गैर कानूनी, अवैध माना जायेगा, यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मूल विक्रय विलेख मिलता है तो अधोलिखित पते पर वापस कर दें, अतः उक्त सम्पति को बंधक किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/कम्पनी/सरकारी बैंक /गैर सरकारी बैंक/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 7 दिन के भीतर व्यक्ति/कम्पनी सरकारी बैंक/गैर सरकारी बैंक वित्तीय संस्था के द्वारा कम्पनी अथवा कम्पनी के अधिवक्ता को लिखित रुप से सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करा सकता है, उपरोक्त समय अवधि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा विचार योग्य नहीं माना जायेगा आपति हेतु सम्पर्क करें-

अरुण कुमार सिंह (एडवोकेट)
चैम्बर संख्या 12,13 व 14 प्रथम तल, पैलेस चौधरी बशीर हुसैन, रजिस्ट्रार आफिस के सामने कैसरबाग लखनऊ 2261018
मो० 9415063069,7007953358

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि (1) श्री गौरव वर्मा (2) श्री आलोक कुमार वर्मा पुत्रगण स्व० मुन्ना लाल वर्मा (3) कुमारी ज्योतिका वर्मा पुत्री स्व० मुन्ना लाल वर्मा निवासिगण 3/42 सेक्टर-3, विकास नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश की है जो भूखण्ड संख्या-3/42 रकबा 184.775 वर्गमीटर स्थित विकासनगर, तहसील & जिला-लखनऊ के एक मात्र मालिक कामिल व काबिज है। उक्त भूखण्ड से सम्बन्धित (1) मूल आबंटन पत्र जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के द्वारा निष्पादित किया था (2) मूल विक्रय विलेख जो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के द्वारा श्री रमेश चन्द्र रस्तोगी के हक में निष्पादित किया था, जो दिनाँक 31.07.1991 को बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3725 पृष्ठ संख्या 156 अ.बु.फ 1 जिल्द संख्या 3756 पृष्ठ संख्या 1178/1189 क्रमांक 4766 पर उप निबंधक, लखनऊ में पंजीकृत है, उपरोक्त मूल दोनों दस्तावेज उक्त श्री गौरव वर्मा से दिनांक 28.03.2025 को फोटोकापी कराने जाते समय खो गया है जो काफी खोजने के पश्चात भी प्राप्त नहीं हो सका यह कि उपरोक्त भूखण्ड पी.एन.बी. हाउसिंग फाइनेंस में लोन के सापेक्ष बन्धक किया जा रहा है, उपरोक्त मूल विक्रय विलेख का किसी अन्य के द्वारा उपयोग गैर कानूनी, अवैध माना जायेगा, यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मूल विक्रय विलेख मिलता है तो अधोलिखित पते पर वापस कर दें, अतः उक्त सम्पति को बंधक किये जाने में यदि किसी व्यक्ति/कम्पनी/सरकारी बैंक/गैर सरकारी बैंक/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 14 दिन के भीतर व्यक्ति/कम्पनी सरकारी बैंक/गैर सरकारी बैंक वित्तीय संस्था के द्वारा कम्पनी अथवा कम्पनी के अधिवक्ता को लिखित रुप से सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करा सकता है, उपरोक्त समय अवधि के बाद किसी भी प्रकार का कोई दावा विचार योग्य नहीं माना जायेगा आपति हेतु सम्पर्क करें-

अरुण कुमार सिंह (एडवोकेट)
चैम्बर संख्या 12,13 व 14 प्रथम तल, पैलेस चौधरी बशीर हुसैन, रजिस्ट्रार आफिस के सामने कैसरबाग लखनऊ 2261018
मो० 9415063069,7007953358

सेवा गृह ऋण लिमिटेड

Sitara A SEWA INITIATIVE

कॉर्पोरेट कार्यालय का पताः बिल्डिंग नं. 8, टॉवर सी, 8वीं मंजिल, डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम 122002

मांग सूचना — वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3(1) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित

नीचे हस्ताक्षरकर्ता वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)') से आह्वान किया गया है कि वे उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाएं, जो नीचे भी दी गई हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता(ओं) को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** को भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, नीचे दर्शाई गई राशि, साथ ही उक्त मांग सूचना(ओं) में वर्णित अतिरिक्त ब्याज, नीचे उल्लिखित तिथि(ओं) से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक, उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय है। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ता(ओं) द्वारा **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** के पास बंधक रखा गया है।

क्र. सं.	ऋण खाता नं./ कर्जदार/गांरटर का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सुरक्षित आस्तियों का विवरण अचल सम्पत्ति
1.	**ऋण खाता संख्या : H4RR000005009188** **1. श्रीमति ज्ञानेश्वरी सिंह, पति श्री सुनील सिंह** **2. श्री सुनील सिंह, पिता श्री वीरेंद्र सिंह** **3. श्री संतेन्द्र सिंह, पिता श्री सुरेश कुमार सिंह**	**05.03.2025** **₹ 6,05,975/- (रुपये छः लाख पांच हजार नौ सौ पिचहत्तर केवल) दिनांक 31.01.2025 तक**	हाउस नं एवी 0803, अराजी नं 375, गाँव ओबरी, बाहर सीमा नगर पालिका परिसद, **तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, चौहद्दी:- पूर्व** - नाला, **पश्चिम**- विक्रेता का प्लॉट, **उत्तर**- विक्रेता का प्लॉट, **दक्षिण**- रोड
2.	**ऋण खाता संख्या : LAP100001743** **1. श्रीमति उमा देवी पाल, पिता श्री केशव प्रसाद पाल** **2. श्री केशव प्रसाद पाल, पिता श्री गोवर्धन लाल पाल** **3. श्री पाल प्रदीप कुमार, पिता श्री केशव प्रसाद पाल**	**07.03.2025** **₹ 3,22,776/- (रुपये तीन लाख बाईस हजार सात सौ छिहत्तर केवल) दिनांक 31.01.2025 तक**	अराजी नं 89, गाँव मझरा पीपर खेड़ा, परगना हदाह, **तहसील जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश, चौहद्दी:- पूर्व**- खाली जमीन व अन्य प्लॉट, **पश्चिम**- रोड, **उत्तर**- रोड, **दक्षिण**- अशोक बजपाई

यदि उक्त उधारकर्ता **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** अधिनियम की धारा 13(14) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर कार्यवाही करेगा, उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत **सेवा गृह ऋण लिमिटेड** की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन के लिए उकसाएगा, अधिनियम के अधीन कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान: बाराबंकी, उन्नाव, दिनांक: 03.04.2025 — **प्राधिकृत अधिकारी, सेवा गृह ऋण लिमिटेड**

कार्यालय ग्रा.पं. शाहवाजनगर, वि.खं. ददरौल, शाहजहांपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

समस्त जीएसटी में पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत शाहवाजनगर, विकास खण्ड ददरौल, शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायत घर का निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री ईंट, मौरंग, बजरी, सीमेन्ट, रोड़ी, रेता, आदि की आवश्यकता है। निर्माण सामग्री की आपूर्ति कार्य स्थल पर करने हेतु निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय पर दिनांक 04.04.2025 से आमंत्रित की जाती हैं। निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक 08.04.2025 है। जो दिनांक 08.04.2025 को सायं 4 बजे खोली जायेंगी। निविदा को निरस्त करने एवं संशोधित करने का अधिकार पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत को होगा।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनु. लागत	अभ्युक्ति
1	ग्राम पंचायत में बारात घर का निर्माण कार्य।	749200.00	मात्रा एवं सामग्री की पूर्ण जानकारी ग्रा.पं. कार्यालय से सम्पर्क कर ली जा सकती है। जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।

महेश चन्द्र गौतम, ग्राम प्रधान — **गोपाल सिंह, सचिव**

ICICI Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी-कुर्ला रोड, जे.बी. नगर अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059,

शाखा कार्यालयः द्वितीय तल, नं. 1984/4, प्लाट नं. 59, ग्रीन पार्क कालोनी, 48 चैम्बर के पास, इलीट चौराहा, सिविल लाइंस झांसी-284003। **शाखा कार्यालयः** 302, 303, 304, तृतीय तल, एल्डेको कॉरपोरेट चैम्बर III, टीसी 58वी, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010, **शाखा कार्यालयः** भूतल, 104/438, पी. रोड, सीसामऊ, रामबाग चौराहा, कानपुर-208012

[नियम 8(6)1 का परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को नोटिस दिया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया, यहां नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, 'जैसा है जहां है', 'जो है यह है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर बेचा जाएगा;

क्र. सं.	कर्जदारों/सह-कर्जदारों/ गारंटरों/विधिक उत्तराधिकारियों के नाम ऋण खाता सं.	ज्ञात ऋणभारों, यदि कोई हो, सहित प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य जमा धरोहर राशि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय	नीलामी से एक दिन पूर्व	सरफैसी चरण
(A)	(इ)	(उ)	(ऊ)	(ए)	(ऋ)	(ऌ)	(ॡ)	(क)
1	शिवम (कर्जदार) शिवानी सिंह (सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या LHJHN00001503585 और LHJHN00001503633	आराजी संख्या 946 का एक आवासीय मकान मौजा लहर गिर्द तहसील एवं जिला झांसी में स्थित है।	रु. 57,79,561/- (तिथि 29 मार्च, 2025)	रु. 54,10,800/- रु. 5,41,080/-	2 मई, 2025 11 बजे पूर्वा.-3 बजे अप.	9 मई, 2025 2 बजे अप.-3 बजे अप.	8 मई, 2025	सांकेतिक कब्जा
2	अफरोज एस खान (कर्जदार) शमा शाहीन (सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या LHLKS00001396705	माधवपुर, वार्ड - कानपुर देहात, माधवपुर, लखनऊ में स्थित खसरा संख्या 42 एवं 43 मिन पर निर्मित मकान संख्या 1	रु. 26,07,550/- (तिथि 29 मार्च, 2025)	रु. 31,49,280/- रु. 3,14,928/-	2 मई, 2025 11 बजे पूर्वा.-3 बजे अप.	9 मई, 2025 2 बजे अप.-3 बजे अप.	8 मई, 2025	सांकेतिक कब्जा
3	दिव्यांशु रमानी (कर्जदार उर्वशी रमानी (सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या LHKAN00001497008 और LHKANOOOO1497010 और LHKAN00001498788	संपत्ति परिसर संख्या 133/0/25(1) में स्थित है, जो प्लॉट संख्या 25, ब्लॉक ओ, स्कीम _II पर निर्मित है, जो सब्जी मंडी, किदवई नगर, कानपुर नगर में स्थित है।	रु. 44,58,595/- (तिथि 29 मार्च, 2025)	रु. 64,80,000/- रु. 6,48,000/-	2 मई, 2025 11 बजे पूर्वा.-3 बजे अप.	9 मई, 2025 2 बजे अप.-3 बजे अप.	8 मई, 2025	सांकेतिक कब्जा
4	मंजू कुमारी (कर्जदार) सुरई कुमार (सह-कर्जदार) ऋण खाता संख्या LHJHN00001545450 और LHJHN00001548964	आराजी संख्या 1918 मौजा लहर गिर्द जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है।	रु. 26,94,515/- (तिथि 29 मार्च, 2025)	रु. 77,46,840/- रु. 7,74,684/-	2 मई, 2025 11 बजे पूर्वा.-3 बजे अप.	9 मई, 2025 2 बजे अप.-3 बजे अप.